तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **F.S.S.Act Case No. 13/2024**	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिलमें जारी हुए
29.8.2024	पत्रावली पेश हुई। श्री दिलीप सिंह यादव, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही उपस्थित। प्रतिवादी भरत पुत्र श्री श्याम पटेल, खाद्य कारोबारकर्ता एवं प्रोपराईटर, फर्म जय अम्बे बोटलिंग, 66–67 भारती नगर प्रथम, अनादरा रोड़, सिरोही, तहसील व जिला–सिरोही के अधिवक्ता उपस्थित। आवेदक श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा यह न्याय निर्णयन आवेदन प्रतिवादी के विरुद्ध श्री दिलीप सिंह यादव, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 18.3.2023 को फर्म जय अम्बे बोटलिंग, 66–67 भारती नगर प्रथम, अनादरा रोड़, सिरोही में प्रतिवादी विक्रेता भरत पुत्र श्री श्याम पटेल से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच कीमतन क्रय किये गये खाद्य पदार्थ Fruit Drink Mango (Xotic Brand) नमूना संख्या S-2067 खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की जांच रिपोर्ट क्रमांकः L.S./698/Act/2022/741 दिनांक 01.4.2023 में मिथ्याछाप (Misbranded) पाया जाने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) व धारा 52 के तहत प्रस्तुत कर प्रतिवादी पर जुर्माना आरोपित करने का अनुरोध किया गया है। प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को नोटिस जारी कर विधिवत तामिल करवाया गया। जिस पर प्रकरण की सुनवाई के दौरान प्रतिवादी भरत की ओर से अधिवक्ता श्री आनन्द देव सुमन उपस्थित हुये व प्रतिवादी की ओर से लिखित जवाब प्रस्तुत किया। प्रकरण में बहस हेतु नियत तिथी को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी उपस्थित नही हुये। प्रतिवादी के अधिवक्ता श्री आनन्द देव सुमन की बहस सुनी गई, जिन्होनें बहस के दौरान प्रतिवादी के जवाब में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा खरीदशुदा Fruit Drink Mango (Xotic Brand) की 600 एम.एल. की बोतलें, प्रतिवादी द्वारा बिक्री हेतु नही रखी गई थी, बल्कि प्रतिवादी के घर में पुत्रवधु की गोद भराई का समारोह था जिसमें आगन्तुक मेहमानों की आवागमन हेतु उक्त सामग्री उपयोग लेने हेतु लाई गई थी। जिसके बारे में प्रतिवादी ने आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अवगत करवा दिया था। उसके बावजूद भी आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रकरण कायम करने के उद्देश्य से प्रतिवादी के विरुद्ध कार्यवाही अमल में लाई है, जिसमें लेश मात्र भी सत्यता नही है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने नमूना लेने के संबंध में न्याय निर्णयन आवेदन में वर्णित कार्यवाही मौके पर निष्पादित नही की है। सुस्थापित प्रावधानों के अनुसार प्रक्रिया नही अपनाये जाने से सम्पूर्ण प्रकरण दूषित है। विधि के सुस्थापित प्रावधानों/नियमों की आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा पालना नही की गई है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने न्याय निर्णयन आवेदन में अंकित कथनों को सक्षम साक्ष्य से साबित नही करवाया है। यह कि Fruit Drink Mango (Xotic Brand) का नमूना मिसब्राण्ड पाये जाने की कोई सूचना प्रतिवादी को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा नही दी गई है तथा न ही खाद्य विश्लेषक के जाचं रिपोर्ट की प्रति उपलब्ध करवाई है, जिससे विधि के सुस्थापित प्रावधानों के अर्न्तगत निर्धारित अवधि में पुनः जांच कराने के अधिकार से प्रतिवादी वंचित रहा है। प्रतिवादी द्वारा ऐसा कोई उत्पाद ... किया गया है एवं न ही भण्डारण .....लगातार	

पीठ. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही–307001.

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Rai Sapela
Date: 2025.06.26 17:14:11 IST
Reason: SelfAttested

सिरोही (राज.)

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **F.S.S.Act Case No. 13/2024**	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिलमें जारी हुए

या संग्रहण किया गया है जो आमजन के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालता हो या हानिकारक हो। उक्त उत्पाद प्रतिवादी के पुत्रवधू की गोद भराई के समारोह में मेहमानों व घर के लोगों के उपयोग हेतु लाया गया था, जिसमें प्रतिवादी द्वारा किसी प्रकार से विधि के प्रावधानों का कोई उल्लंघन नही किया है। यह कि खाद्य विश्लेषक की जांच रिपोर्ट में उक्त खाद्य सामग्री Fruit Drink Mango (Xotic Brand) के सभी मानक व लेबल पर अंकित समस्त सूचनायें विधि के प्रावधानों के अनुरुप पाई गई है, केवल मात्र लेबल पर अंकित न्यूट्रीशनल इनफोरमेशन की प्रतिशत मात्रा अंकित नही होने से मिसब्राण्ड माना है, जो बहुत की छोटी त्रृटि की श्रेणी में आता है, जिसमें सुधार करने का नोटिस दिया जाकर भी कार्यवाही को आवेदक द्वारा अपने स्तर पर ही बन्द किया जा सकता था। अतः उक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखकर आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रतिवदी के विरुद्ध प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन को खारिज किया जावे।

प्रकरण में सुनी गई बहस पर मनन किया तथा पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि श्री दिलीप सिंह यादव, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही द्वारा दिनांक 18.3.2023 को फर्म जय अम्बे बोटलिंग, 66–67 भारती नगर प्रथम, अनादरा रोड़, सिरोही में खाद्य पदार्थो के निरीक्षण के दौरान प्रतिवादी विक्रेता भरत पुत्र श्री श्याम पटेल से फर्म जय अम्बे बोटलिंग के अन्दर आम जन के बिक्री हेतु रखे हुए खाद्य पदार्थ Fruit Drink Mango (Xotic Brand) की 200 पैक्ड बोतलों (प्रत्येक 600 एम.एल.) में मिलावट का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत जांच हेतु नमूना लेने की सूचना प्रतिवादी भरत पुत्र श्याम पटेल को गवाह श्री श्रवण सिंह देवड़ा, वाहन चालक, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के समक्ष प्रपत्र 5ए में भरकर दी। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री दिलीप सिंह यादव द्वारा फर्म जय अम्बे बोटलिंग में आमजन के बिक्री हेतु रखे हुए Fruit Drink Mango (Xotic Brand) की 200 पैक्ड बोतलों (प्रत्येक 600 एम.एल.) में से Fruit Drink Mango (Xotic Brand) की 8 पैक्ड बोतलों को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के नमूना हेतु क्रय करके उसकी कीमत राशि रुपये 320/– (अक्षरे रुपये तीन सौ बीस मात्र) प्रतिवादी विक्रेता भरत पुत्र श्याम पटेल का नकद अदा कर खरीद रसीद/बिल प्राप्त किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा Fruit Drink Mango (Xotic Brand) की दो–दो पैकड बोतलों को मिलाकर चार भागों में किया एवं मौके पर लेबल तैयार कर लेबल पर अभिहित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही) के कोड एवं क्रमांक S-2067, दिनांक, स्थान, खाद्य पदार्थ Fruit Drink Mango (Xotic Brand) आदि अंकित कर उस पर प्रतिवादी विक्रेता भरत पुत्र श्याम पटेल के हस्ताक्षर कराये एवं स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री दिलीप सिंह यादव ने हस्ताक्षर किये। खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री दिलीप सिंह यादव ने खरीदशुदा Fruit Drink Mango (Xotic Brand) के चारों नमूना भागों पर एक–एक लेबल गोंद से चिपकाया तथा प्रत्येक नमूना भाग पर अभिहित अधिकारी के हस्ताक्षर युक्त पेपर स्लिप कोड एवं एवं क्रम संख्या S-2067 उपर से लेकर नीचे तक गोंद से चिपकाई। प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया गया। प्रत्येक नमूना भाग पर प्रतिवादी विक्रेता भरत पुत्र श्याम पटेल व

.....लगातार

पीठा. जिला न्यायाधीश
सिरोही–307001.

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Rai Sapela
Date: 2025.06.26 17:14:11 IST
Reason: SelfAttested

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **F.S.S.Act Case No. 13/2024**	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिलमें जारी हुए

गवाह के हस्ताक्षर कराये तथा श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी स्वयं ने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् चारों नमूना भागों को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कब्जे/जाप्ते में लिया तथा मौका रिपोर्ट तैयार की, जिस पर प्रतिवादी भरत पुत्र श्याम पटेल, उक्त गवाह व श्री दिलीप सिंह यादव, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर किये हुये है। तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री दिलीप सिंह यादव ने कार्यालय में पॅहुचकर फार्म नम्बर VI की प्रतियां तैयार की व उस पर नमूनें को सील्ड करते समय काम में ली गई सील की छाप अंकित की। नमूना के चारों भागों के साथ फार्म नम्बर VI की एक–एक प्रति लगाकर चारों नमूना भागों को आउटर कवर में बंद किया व नियमानुसार सील चपडी किया तथा फार्म नम्बर VI की दो–दो प्रतियां दो लिफाफो में अलग–अलग बन्द कर गोंद से चिपकाकर लिफाफों को सील चपडी किया। श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी स्वयं ने दिनांक 20.3.2023 को नमूनें का एक भाग व फार्म नम्बर 6 का एक सील बन्द लिफाफा खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की एवं दिनांक 20.3.2023 को शेष तीन नमूना भाग व फार्म नम्बर 6 का सील बन्द लिफाफा अभिहित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही) को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। इस प्रकार, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा फर्म जय अम्बे बोटलिंग, 66–67 भारती नगर प्रथम, अनादरा रोड़, सिरोही से खाद्य पदार्थ Fruit Drink Mango (Xotic Brand) को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच क्रय करने की कार्यवाही विधिवत की गई है। प्रकरण में खाद्य विश्लेषक, जोधपुर से खाद्य पदार्थ Fruit Drink Mango (Xotic Brand) के नमूना संख्या S-2067 की प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक:L.S./583/Act/2023/627 दिनांक 27.3.2023 के अनुसार खाद्य पदार्थ Fruit Drink Mango (Xotic Brand) का नमूना मिथ्याछाप (misbranded) पाया गया। इससे, यह स्पष्ट है कि प्रतिवादी भरत पुत्र श्री श्याम पटेल द्वारा मिथ्याछाप (misbranded) Fruit Drink Mango (Xotic Brand) का विक्रय करके उक्त अधिनियम की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है, जो अधिनियम की धारा 52 के तहत जुर्माने योग्य अपराध है।

आदेश

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 52 के तहत मिथ्याछाप (Misbranded) Fruit Drink Mango (Xotic Brand) के विक्रय हेतु प्रतिवादी भरत पुत्र श्री श्याम पटेल, खाद्य कारोबारकर्ता एवं प्रोपराईटर, फर्म जय अम्बे बोटलिंग, 66–67 भारती नगर प्रथम, अनादरा रोड़, सिरोही, तहसील व जिला– सिरोही पर राशि रुपये 30,000/– (अक्षरे रुपये तीस हजार मात्र) की शास्ति (Penalty) अधिरोपित की जाती है। प्रतिवादी को आदेशित किया जाता है कि वह जुर्माना राशि का राष्ट्रीयकृत बैंक से न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के पक्ष में Crossed Demand Draft जिसका भुगतान सिरोही शहर में प्राप्त किया जा सके बनवाकर अति0 जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के कार्यालय में 15 दिन के भीतर जमा करवाये। पत्रावली इसी मुताबिक फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। निर्णय सुनाया गया। निर्णय की प्रति संबंधित को प्रेषित की जावे। मिसल वास्ते जमा होने जुर्माना राशि डी.डी. आयन्दा दिनांक 04.10.2024 को पेश हो।

न्यायालय अति० जिला मजिस्ट्रेट सिरोही (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Rai Sapela
Date: 2025.06.26 17:14:11 IST
Reason: SelfAttested

(डॉ. दिनेश राय सापेला)
अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही-307001.